सत्यमेव जयते

राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद संख्या–10 (लो0सू0अ0)/2023–24

श्री इन्तखाब अहमद, शेख मुहल्ला, वार्ड नं॰–32, पोस्ट+जिला–सिवान–841226

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, पटना, बिहार

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
17.01.2023	श्री इन्तखाब अहमद, शेख मुहल्ला, वार्ड नं॰–32, पोस्ट+जिला–सिवान–841226 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–13.01.2023 इस कार्यालय में दिनांक–16.01.2023 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क अथवा गरीबी रेखा के नीचे बसर करने का कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है। अपीलकर्त्ता श्री इन्तखाब अहमद ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–14.12.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम– 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय को दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी दी गई सूचना से असंतुष्ट होने के कारण प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। साथ ही उन्होंने उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक–14.12.2022 की प्रति भी संलग्न की है। बिहार सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 के नियम–3 (परिशिष्ट–1) के अनुसार अपील शुल्क के रूप में ₹ 10/– (दस रूपए) देय है, जो अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया है और न ही गरीबी रेखा के नीचे बसर करने का कोई साक्ष्य संलग्न किया है। अतः अपीलार्थी से अपील शुल्क अथवा गरीबी रेखा के नीचे बसर करने का साक्ष्य की मॉग करें ताकि उनका अपील आवेदन स्वीकृत कर अग्रतर कार्रवाई की जा सके। सभी संबंधित को सूचित करें तथा अभिलेख पुनः 15.02.2023 को उपस्थापित करें। 17/1/2023 **विशेष कार्य पदाधिकारी** **–सह–** **प्रथम अपीलीय प्राधिकार**	

अपील वाद संख्या—10 / 2023—24 (86 / 2022—2023)

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
15.02.2023	दिनांक—17.01.2023 को पारित आदेश के क्रम में लोक सूचना पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त है, परंतु अपीलकर्त्ता से न तो शुल्क अथवा गरीबी रेखा के नीचे बसर करने का साक्ष्य प्राप्त है। लोक सूचना पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार श्री इन्तखाब अहमद, शेख मुहल्ला, वार्ड नं०—32, पोस्ट+जिला—सिवान—841226 से प्राप्त प्रपत्र 'क' दिनांक—14.12.2022 राज्यपाल सचिवालय में 16.01.2023 प्राप्त हुआ है, को राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना के पत्रांक—आर०टी०आई० / के०एस०डी०यू०—106 / 2022—26 / रा०स० (i) दिनांक—14.12.2022 के माध्यम से अपीलार्थी को उनके प्रपत्र 'क' दिनांक—14.12.2022 के आलोक में सूचना प्रेषित किया गया है। अपीलार्थी श्री अहमद ने अधोहस्ताक्षरी के समक्षा यह अपील दी गई सूचना से असंतुष्ट होने के कारण दायर किया था। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अपील शुल्क अप्राप्त रहने तथा लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा अपीलार्थी के प्रपत्र 'क' दिनांक—14.12.2022 के आलोक में सूचना का प्रेषण किये जाने के कारण प्राप्त अपील आवेदन पर अग्रतर कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। सभी संबंधित को सूचित करें। 15/2/2023 विशेष कार्य पदाधिकारी —सह— प्रथम अपीलीय प्राधिकार	